

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 105/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956  
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य  
जरिये पटवारी उण्डू

राणाराम पुत्र जेठाराम  
जाति जाट निवासी मूढ़णों की ढाणी।

“निर्णय”

दिनांक:-17.10.2025


पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा मूढ़णों की ढाणी के खसरा नं. 230 रकबा 15.0948 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आगोर में से 0.700 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 30/- पूर्णांक में अक्षरे तीस रूपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। भू0 अभिलेख निरीक्षक को फसल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 17.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।

  
नायब तहसीलदार भिंयाड़  
नायब तहसीलदार  
भिंयाड़ तह.शिव जिला -बाड़मेर

